प्रकरण सं. 24/19 दिनांक 24/9/19 251 ए RTA

रामचन्द्र S/o बनाम श्रीमती मांगी पुरी

[illegible] (विकासनगर) [illegible]

24/9/19 मिसल आज दिनांक 24/9/19 को प्रार्थी श्री जगदीश चन्द्र द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रा. पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर सिगह से तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' रा. का. अ. पर बहस सुनी गई। बाद बहस मैंने प्रार्थना-पत्र का मय दस्तावेज रेकार्ड का अवलोकन किया। बाद अवलोकन के मैंने गहन मनन किया जिससे जाहिर हुआ कि आराजी सं. 1398, 1396/1689 जो गै० मु० रास्ता है पूर्ववत् दर्ज रेकार्ड रास्ता है।

अतः दर्ज रेकार्ड रास्ता होने से उक्त प्रा.पत्र 251 ए रा.का.अ. का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र 251 ए रा.का.अ. को निरस्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही तहसीलदार [illegible] को निर्देशित किया [illegible] आराजी सं. 1398, 1396/1689 [illegible] मु० रास्ता की बहाली मौके पर जाकर किया जाकर अतिक्रमियों को पाबंद करा पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 15:48:58 IST
Reason: SelfAttested